Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 5.146
Volume - 5, Issue - 6, JUNE - 2022 Publication Date: 30/06/2022

DOIs:10.2018/SS/202206010 --:-- Research Article

स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव-अधिकार के महानायक, गुरू बालकदास

[1]श्रुति देव गवास्कर, [2] डॉ. रामरतन साहू
[1] शोघ-छात्रा, इतिहास, डा. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.), भारत
[2] शोधनिर्देशक, इतिहास, डा. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.), भारत
[1]Email – shrutidev0609@gmail.com, [2]Email – dr.ramratansahu@gmail.com

शोध सार: भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मात्र राजनीतिक आजादी के लिए नही बल्कि सामाजिक, आर्थिक आजादी के लिए शुरू किया गया था। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदो ने जो बलिदान दिया उसी के परिणाम स्वरूप आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे है। जिन सिद्धांतो को लेकर आजादी की लड़ाई लडी गई उन्ही सिद्धांतो पर चलकर भारत को आज मजबूती मिली है।

लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक तथा तंत्र लोक का अर्थ जनता तथा तंत्र, का अर्थ है शासन अर्थात् लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में भाग लिए प्रत्याशी को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है या उसकी सता बना सकती है। अम्ब्रहीम लिकंन के अनुसार "जनता द्वारा जनता के लिए, जनता का शासन है" लेकिन अलग-अलग देश काल और परिस्थितियों के अलग-अलग धारणाओं के प्रयोग से, इसकी अवधारणा कुछ जटिल होती गई। प्राचीन काल से ही लोकतंत्र के संदर्भ में कई प्रस्ताव रखे गये, पर इनमें से काई कभी क्रिन्यानवित नहीं हुए।

लोकतंत्र संस्कृत के "प्रजातन्त्रय" से लिए गया है, अंग्रेजी में यह "डेमोक्रेसी" कहलाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जनता का शासन। सहभागिता सिद्धांत के समर्थको के अनुसार, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता है न कि मात्र सरकार को स्थायी बनाये रखना। जैसा कि अभिजनवादी अथवा बहुलवादी सिद्धांतकार मान लेते है। सच्चे लोकतंत्र का निर्माण तभी हो सकता है, जब नागरिक राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो और सामूहिक समस्याओं में निरंतर अभिरूचि लेते हो। सक्रिय सहभागिता इसलिए आवश्यक है ताकि समाज के प्रमुख संस्थाओं में पर्याप्त विनिमय हो और राजनीतिक दलों में अधिक खुलापन और उत्तर दायित्व के भाव हो ।

लोकतंत्र राज्य का एक ऐसा स्वरूप है कि वर्ग विभाजित समाज में सरकार अधिनायक वादी और लोकतांत्रिक दोनों होती है। यह एक वर्ग के लिए अधिनायकवाद। बुर्जआ वर्ग चूंकि अपने हित साधना में पूंजीवादी प्रणाली को निंयंत्रित और संचालित करता है इसलिए उसे सता से बेदखल कर समाजवादी लोकतंत्र को स्थापित करना होता है। मानव अधिकार वे अधिकार है,जो मनुष्य को जीवित रहने, सर्वांगिण विकास करने और अस्तित्व कायम करने के लिए निहायत जरूरी है। लास्की के शब्दों में "अधिकार समाजिक जीवन की, वे परिस्थितियां है,जिनके बगैर सामान्य रूप से काई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता" । साक्षी है कि राजा स्वंय भी कानूनों से ऊपर नहीं होता था। उनका कर्तव्य था कि नागरिकों को त्रासदी से बचाकर सुरक्षा प्रदान करें और लोकाधिकारों का प्रयोग करने उन्हें पूरी आज़ादी दें। जनता कहती थी कि "राजा करें सो न्याय, पांसा, परे सो दावं" तो राजा भी समझता था "पंच सते कीजै काज,हारे जीते प आवे लाज"2 कानून उल्लघन का भय तथा कानून का सम्मान, मानव अधिकार संरक्षण के लिए नितांत आवश्यक है इसलिए दंड का प्रावधान प्रारम्भ से ही सामाजिक संरचना के साथ हुआ है।

मानव अधिकारो की परिधि में केवल प्राकृतिक उपहार जैसे हवा, जल, जमीन इत्यादि ही नहीं आते बल्कि इनके साथ ससम्मान जीने, पोषण और संरक्षण पाने के साथ ही, वे सारे उपागम जो व्यक्तित्व विकास के लिए अपरिहार्य है तथा रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, संस्कृति आदि सभी आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। इन सब अनिवार्य सुविधाओं को अनके लोकतांत्रिक राष्ट्रो ने अपने नागरिकों के विकास के लिए अनिवार्य ठहराते हुए अपनी-अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक हालातों के अनूरूप, राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं मूल भूल कानूनों में स्थान दिया है जिन्हें मूल भूत अधिकारों के रूप में जाना जाता है। मानव अधिकार, मानव सभ्यता के विकास के साथ ही विकसित हुआ है पूरी दुनिया में उसकी विकास की सुदीर्ध परम्परा रही है। वस्तुतः मानव अधिकार पत्रों की घोषण पहली बार ब्रिटने में सन् 1215 में "मैग्नाकार्टा का महान घोषणा पत्र" के साथ हुई सन् 1669 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, सन् 1689 के बिल आॅफ राईट्स, सन् 1776 ईवी में अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा, 27 अगस्त 1989 में मानव अधिकारों की घोषणा, इस परम्परा के महत्वपूर्ण घटक है। स्वतंत्रता के पश्चात में भारत में सन् 1993 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। यह आयोग वैधानिक और समर्थ भौतिक ढंग से प्रत्येक नागरिको के सर्वतोमुखी विकास तथा बेहतर जिंदगी के लक्ष्य की ओर प्रतिबद्ध और सतत् कार्यशील है।

मुख्य बिंदु: लोकतंत्र, सतनाम स्वतंत्रता आंदोलन, अधिकार, मानव, गुरु, संघर्ष ।

1. शोध उद्देश्य:

भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अपनी विलक्षण विशेषताओं के कारण दुनिया के इतिहास में एक मिशाल कायम की है। स्वतंत्रता आंदोलन के महायज्ञ में कई जाने-अनजाने वीर सपूतों से अपनी आहूति दी है। इनमें से अनेकों के नाम इतिहास में दर्ज है,

लेकिन कुछ के नाम अज्ञात है। इन्ही गुमनामो को खोज कर तथा उनके योगदान को रेखांकित कर प्रकाश में लाना आवश्यक जान पड़ता है। कई ऐसे भी महानायक है जिन्होंने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव अधिकार विस्तार की दिशा में संघर्ष करते बलिदान हो गये, जिनके कार्य व योगदान अज्ञात के गर्भ में छुपा पड़ा है।

छत्तीसगढ़ के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक इतिहास में अंचल के अनके त्यागी एवं बलिदानी महापुरूष है, जो इतिहास में पृष्ठांकित है परंतु अब तक गुरू बालक दास के सम्राज्यवादी तथा सामंत विरोधी संघर्ष, स्वंतत्रता, लोकतंत्र और मानव अधिकार की दिशा में किये गये उनके कार्य व योगदान इतिहास में विस्मृत है। अतः उनके कार्य व योगदान को प्रकाश में लाकर राष्ट्रीय धारा जोड़ना इस शोधपत्र का मूल उद्देश्य है।

2. शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध में अनुसंधान की प्राविधियों का प्रयोग किया गया है

१. गुरु बालकदास जी के कार्य स्थलों का अवलोकन
२. ग्रंथालय में उपलब्ध सम्बंधित शोध प्रबंधों का अध्ययन, किताबों, पत्र एवं गजेटियर में प्रकाशित सामग्रियों का अन्वेषण
३. धर्म गुरुओं से साक्षात्कार एवं जानकारी एकत्र करना

3. परिचय:

गुरू बालकदास, संत गुरू घासीदास के द्वितीय जेष्ठ पुत्र थे। आपका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 18 अगस्त सन् 1805 में हुआ था। उनके धर्म पत्नि का नाम मीरा माता तथा पुत्र का नाम साहेब दास था। सरहा जोधाई उनके अंग रक्षक थे। गुरू घासीदास के निर्वाण के पश्चात् वे उतराधिकारी हुये।3 वे सतनामी समाज के लौह पुरूष थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सतनामीयों का राजा घोषित किया था और इस संदर्भ में सनद प्रदान की थी। अंग्रेजो ने इस सरकार ने उन्हें सतनामीयों का राजा घोषित किया था और इस संदर्भ में सनद प्रदान की थी। अंग्रेजों ने इस अवसर पर गुरू बालक दास जी को दुलरूवा नाम के एक हाथी और स्वर्ण जड़ित तलवार भेट किये थे। शायद अंग्रेजो ने छत्तीसगढ़ में अपनी प्रशासनिक पकड़ और मजबूती के लिए गुरू बालक दास ने साम्राज्यवाद और सामंतवाद से मुक्ति के लिए सन् 1850 से 1860 के मध्य तीव्रता से सतनाम-आंदोलन चलाकर अंग्रेजो और सामंतो को चुनौती दी थी। किन्तु आगे चलकर अंग्रेजो और सामंतो से संयुक्त साजिश के तहत 1860 में उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार स्वंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकार का हिमायत करने वाला महानायक शहीद हो गये।

3.1 गुरू बालकदास के संघर्ष, कार्य एवं योगदान:-

संत गुरू घासीदास के पश्चात् गुरू बालक दास सतनाम आंदोलन का नैतृत्व संभाला और इस आंदोलन को पूरी शक्ति के साथ संचालित किया। गुरू बालक दास समूचे छत्तीसगढ़ में सन् 1850 से 1860 के मध्य चलाते थे। गुरू बालक दास जी ने सतनाम आंदोलन के तीन महत्वपूर्ण लक्ष्य महत्वपूर्ण लक्ष्य से निर्धारित किया। प्रथम सतनाम-पंथ को संगठनात्मक आकार देकर सुदृढ़ और विकासशील बनाना, दूसरा इस आंदोलन के माध्यम से आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध संघर्ष और प्रतिरोध और प्रतिरोध करना, तीसरा हिन्दू समाज के अलोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना। उनके सतनाम आंदोलन में समाजिको के साथ-साथ् कृषक, मजदूर एवं आम जनता, सामंतो और जमीदारों से शामिल होकर संरक्षण और सहायता प्राप्त करते थे। तात्कालिन समय में सामंतो और जमीदारों द्वारा किसानों की भूमि हड़पना, जबरदस्ती वसूलियां करना, बेंगारी लेना आम बात हो गयी थी। इसलिए सतनाम आंदोलन के कारण सामंतो के विरूद्ध आम लोगों में साहस का संचार हुआ और वे अपनी जान-माल की रक्षा के लिए खड़े होने लगे। लोगों ने गुरूजी के प्रयास से अपनी खोई हुई भूमि पुनः प्राप्त किया और वे आर्थिक रूप से सम्पन्न होने लगे।उनकी गुलामी का बंधन कटने लगे, बेगारी प्रथा का उन्होंने डट कर विरोध किया। फलतः सामंत बेगारी लेने से डरने लगे। गुरू बलाक दास सतनाम पंथ के पंरपरागत रावटी प्रथा को सतनाम आंदोलन में जोड़कर अलग-अलग स्थानों में रावटी शिविर आयोजित करते थे। शिविर में उपस्थित आम जनता सांमतों, जमींदारों के जुल्म और उनके काले कारनामों का बयान करते थे गुरूजी शिकायते सुनकर समस्या का समाधान करते थें, नहीं सुलझने पर सतनाम आंदोलन के झंडे तले जन क्रांति की अपील करते थे।''

गुरू बालक दास समाज में संगठन और एकता लाने के लिए राजमंहत, मंहत, भंडारी, साटीदार, कोटवार जैसे पद नियम करके, इन पदो पर योग्य, गुणी तथा कर्मठ व्यक्तियों का नियुक्त किये थे। उन्होंने समाज को संगठित, शक्तिशाली और लोगो को चरित्रवान बनाने के लिये "अखाडा-प्रथा" की शुरूवात की और इसे सतनाम आंदोलन का अनिवार्य कार्यक्रम घोषित किया। इससे लोगों में अनुशासन, आत्मबल, उच्च चरित्र और देश भक्ति का विकास हुआ। अंग्रेस सरकार गुरू बालक दास जी को राजा की उपाधि से नवाजा था अस्तु उन्हें छत्तीसगढ़ अंचल में अंग्रेजी से किसी प्रकार का समझौता नहीं किये बल्कि अंग्रेज उनसे मिलने-जुलने या संवाद करने के लिए डरते थे"। सतनाम आंदोलन के दो प्रमुख केन्द्र थे पहला भण्डारपुरी (रायपुर जिला) और दूसरा कुंआ बोडसरा (बिलासपुर जिला) इन्हीं दोनों केन्द्र से सतनाम आंदोलन का कारवां निकलता था। सतनाम-आंदोलन के सुव्यवस्थित संचालन के लिए तथा समाज की रक्षा के लिए गुरू बालक दास सतनाम सेना का गठन किये थे। सतनाम सेना समाज की रक्षा के साथ-साथ साम्राज्यवादी तथा समांती ताकतों से वक्त आने पर मुकाबला करते थे। वर्तमान समय में सतमान आर्मी गठन करने की आवश्कता जान पड़ती है। इस प्रकार गुरू बालक दास लोक समाज के उत्थान और कल्याण तथा सांमतो से भूमि संपति की

छुटकारा, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा और स्वतंत्रता, लोकतंत्र के विस्तार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किये है। सतनाम-आंदोलन के राष्ट्रावादी जनतांत्रिक, प्रभावी कार्यक्रमो से एक तरफ ब्रिटिश सरकार की सिंहासन हिलने लगी, वही दूसरी तरफ भारतीय सामंतो को कडी चुनौती मिली।11 फलतः गुरू बालक दास को अंग्रेजो और सामंतो के साजिश का शिकार होना पड़ा। एक दिन सतनाम-आंदोलन के सत्याग्राहियों के साथ औराबांधा नामक स्थान में (जिला मुंगेली) रावटी शिविर लगाये थे, तभी उन पर प्राण घायत हमला किया गया। गरू जी बुरी घायल हो गये, उन्होंने कोसामुलमूला नामक स्थान में 17 मार्च 1860 को अंतिम सांस ली।12 नवलपुर जिला बेमेतरा में गुरू बालक दास की समाधि स्थल बना हुआ है। यह स्थल उनके अनुयायियों के लिए दर्शनीय है।13

4. निष्कर्ष:

भारत में ब्रिटिश शासन डलहौजी के नीति के तहस भारतीय राजा, महाराजाओं के उतराधिकार के मामले में निरन्तर दखलांदाजी करते रहे और आने पंसददीदा व्यक्ति को उतराधिकार बनाने की पूरी कोशिश किये। वे उन्ही व्यक्ति का समर्थन करते थे जो उनके हुक्म का पालन करे और ब्रिटिश शासन की मदद करे। इस प्रकार अंग्रेज यहां के उतराधिकार के मुद्दे में दिलचस्पी लेकर फूट डालने और राज करने की नीति को भरसक सफल बनाने के प्रयास करते रहे।

छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज जागरूक, संगठित, स्वाभिमानी और प्रभावशीली समाज रहा है। इस समाज में गुरू सर्वोपरि होता है। अतः गुरू के अलावा समाज से लोग किसी दूसरे व्यक्ति के सामने सिर नही झुकाते। सतनाम पंथ के उतराधिकार के मामले में अंग्रेजी में कोई दखल अदांजी नही की परन्तु वह यह चाहते थे कि गुरू बालक दास के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोई बहुत बड़ा विद्रोह न हो इसलिए अंग्रेजो ने गुरू बालक दास के कार्यक्रमों, गतिविधियों में पैनी नजर रखना शुरू कर दिये थे।14 उन्होनें गुरूजी पर प्रत्यक्ष अटैक करने के बजाय सांमतो को मोहरा बनाया। सामंतो और जमीदारों के द्वारा प्राण घातक हमला किये जाने के कारण गुरूजी शहीद हो गये।

इतिहास साक्षी है कि 1857 के महान क्रांति के पूर्व नाना साहब अनेक देशी नरेशो से अंग्रेजो के विरूद्ध सहायता के लिए पत्र लिखे थे। इसके बावजेद पटियाला, जीन्द, नाभा, ग्वालियर, हैदराबाद, राजपूत आदि के शासको ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। अगर जियाजी राव, सिंधिया अंग्रेजो का सहायता न करके क्रान्तिकारियों का साथ दिया होता और अपनी फौज लेकर दिल्ली पर टूट पड़ता तो अंग्रेजो की फौज पल भर के लिए न ठहरती। ट्रावनकोर के नरेश नाना साहब की सहायता नहीं की। अन्ततः 1857 की विदेशी हुकूमत के खिलाफ की गई क्रांन्ति विफल हो गई। अंग्रेज सहायता पहुँचाने वाले नरेशों को पुरस्कृत किया और इस प्रकार भारत मे अंग्रेजी-राज का नींव मजबूत हुआ।

छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की घटनायें घटी सोनाखान के कृषक नेता वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए रायपुर के डिप्टी कमीशनर इलियट ने लेप्टीनेट स्मिथ को आदेश दिया तो उनकी गिरफ्तारी में भटगांव, बिलाईगढ़, देवरी और कंटगी के जमीदार अंग्रेजो की सहायता की थी।15फलतः वीर नारायण सिंह को आत्म समर्पण के लिए विवश होना पड़ा था। इस प्रकार अनेक देशी राजाओं, सामंतो और जमीदारों के अंग्रेज हितैषी कारनामो के कारण आजादी के कई सितारे डूब गये।

संदर्भ-सूची:

1. गुप्त, प्यारेला; प्राचीन छत्तीसगढ़ पृ. 220. प्रकाशक रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर 1973.
2. माहेश्वरी, रामगोपाल; श्रीशुल्क अभिनंदन ग्रंथ, इतिहास खण्ड-पृ. 203. प्रकाशक शिवराज फाइन आर्ट लिथो वक्र्स नागपुर,
3. वर्मा, भगवान सिंह; छत्तीसगढ़ का इतिहास (1818-1854) पृ. 146-147 प्रकाशक सेन्ट्रल बुक हाऊस रायपुर 1996.
4. मार्कण्डेय, के आर. (संपादक); छत्तीसगढ़ राज्य और सतनामी समाज-पुण्य स्मृति ग्रंथ पृ. 19-20 योगेश प्रिन्टर्स दुर्ग 2001.
5. सोनी, जो. आर. (संपादक); पंथी-गीत एवं राष्ट्रीय चेतना पृ.120 गुरू घासीदास साहित्य संस्कृति अकादमी रायपुर 2005.
6. सोनवानी, आई. आर.- (संपादक) सत्याप्रभात अंक 1 पृ.05. सिद्धि प्रकाशन राजनांदगांव 2000.
7. वही-पृ. 15
8. निगम, एस.एस. (संपादक);, शोध समवेत, वाल्यूम प्ध्1 पृथ. 56. प्रकाशन कावेरी शोध संस्थान उज्जैन 2007.
9. सोनवानी, आई. आर (संपादक); सत्यप्रभात अंक 2 पृ. 62. सत्य दर्शन राष्ट्रीय साहित्य एवं शोध संस्थान दुर्ग (छ.ग.)
10. वही-पृ. 63.
11. सोनी, जे.आर. (संपादक); पंथी-गीत एवं राष्ट्रीय चेतना पृ. 121 गुरू घासीदास साहित्य संस्कृति अकादमी रायपुर 2005.
12. दिवाकर, डी.एल (संपादक); अंक 11 सत्यालोक पृ. 26 प्रकाशक प्रगतिशील सतनामी समाज (छ.ग.) 2013.
13. भतपहरी, अनिल कुमार; हंसा अकेला पृ. 132 वैभव प्रकाशन रायपुर 2019.
14. सोनवनी, आई आर; प्रकाशित लेख भाग 02 भारतीय राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के स्वरूप के स्वरूप निर्धारण में सतनाम आंदोलन का योगदान - सेबरा संकते 16 दिसम्बर 1999.
15. खिरवड़कर, एस.जी. (संपादक); म. प्र. संदेश, स्वाधीनता आंदोलन विशेषांक 15-1989 पृ.अ -34.